अनुसूची घ —फारम सं०—

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, घ॰ घ का नियम घहा॰)

से..तक

आदेश पत्रक — ता०.., सं०.., सन् घ॰........................

जिला..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख घ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर ह्य	आदेश पर की गई कार्वाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख—सहित f'
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या: 154 / 2012** शोभा कुमारी — अपीलार्थी वनाम राज्य एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स / विपक्षीगण —:आदेश:— प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.11ई0 विविध वाद संख्या 03 / 2011के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी / आवेदिका अरूणः कुमारी पति विमेश्वर सिंह सा0 वीरगांवटोला बेलदारी ग्राम पंचायत वीरगॉव चतरा थाना मुरलीगंज (अरार ओ0पी0) जिला मधेपुरा ने निम्नन्यायालय के समक्ष नवसृजित आंगनबाडी केन्द्र बीढ़गॉव बेलदारी टोला, पंचायत— बीरगॉव चतरा, थाना— मुरलीगंज, जिला— मधेपुरा के लिए आवेदन समर्पित की थी, लेकिन मुखिया पंचायत सचिव एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पिछड़ी जाति की आवेदिका शोभा कुमारी पति धनश्याम यादव का चयन सेविका पद पर नियम के विरूद्व किया गया है। इस आंगनवाडी केन्द्र पोषक क्षेत्र में अत्यंत पिछडी जाति की बहुलता बतलाया गया है । आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी वाद संख्या सी0डब्लू0जे0 नं0 9097 / 08 अपील किया गया वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीन माह के अंदर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आवेदिका के शिकायत का निष्पादन करने का निदेश दिया गया । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में कथन करते हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ग्वालपाड़ा की उपस्थिति में दिनांक 03.06.07 को विभागीय निर्देशों के आलोक में आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें 13 अभ्यर्थियों ने अपने संबंधित कागजातों के साथ उपस्थित हुए वो रंजू कुमारी, कुमारी हीरा, कुमारी मीना, रानी कुमारी, मुन्नी कुमारी, चॉचल कुमारी, बीभा कुमारी, केन्दुला कुमारी, एवं आशा कुमारी पोषक क्षेत्र के बाहर की रहने के कारण वे विभागीय दिशा निदेशों के अनुसार वे नियुक्ति हेतु अयोग्य थी।	

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रूबी कुमारी एवं गुंजन कुमार का अंक 55 प्रतिशत से कम था और अरूणा कुमारी पति विशेश्वर सिंह बीरगांव की लड़की थी और उनके ससुर जगदीश मंडल ग्वालपाड़ा प्रखंड में पदस्थापित हैं अतएवं उनका आवेदन नियमानुसार अस्वीकृत कर दिया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि इस तरह अपीलार्थी का प्राप्तांक 62.70 प्रतिशत था जो एक मात्र आंगनबाड़ी सेविका के लिए नियुक्त की गयी वो प्रशिक्षण में भेजी गयी वो दिनांक 20.06.07 से 26.06.07 तक प्रशिक्षण भी प्राप्त की। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/आवेदिका लगातार 5 वर्षो तक कार्य की वो 4 वर्षो के बाद अरूणा कुमारी पति विशेश्वर सिंह जो बीरगॉव टोला की पुत्री है के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष एक आवेदन दिया गया जिसके द्वारा आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी शोभा कुमारी जो पिछड़ा वर्ग से आती हैं जबकि उस टोला में अतिपिछड़ी जाति की बाहुलता है। आगे यह भी कथन करते हैं कि उनके द्वारा माननीय उच्चन्यायालय में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 9097/2008 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को तीन माह के अन्दर अरूणा कुमारी पति विशेश्वर प्रसाद सिंह के शिकायत आवेदन को तीन माह के अन्दर निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं उक्त आलोक में विज्ञ जिलाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में विविध वाद 03/2011 दायर किया गया था विज्ञ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बिना पोषक क्षेत्र की पारिवारिक सूची की जॉच किए अथवा संबंधित पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किए आदेश दिनांक 20.11.2011 द्वारा आवेदिका को चयनमुक्त कर दिया गया वो अपलार्थी द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश के विरूद्व अनुतोष हेतु इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है ।

रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता निम्न न्यायालय एवं इस न्यायालय में वहस के कम में कथन करते है कि ग्राम पंचायत बीरगॉव, चतरा थाना मुरलीगज प्रखंड मुरलीगज, मधेपुरा में एक ऑगनवाड़ी केन्द वार्ड न0 4 एवं 6 के अंश को मिलाकर गठित किया गया था वो उक्त ऑगनवाड़ी केन्द्र में चूकिं अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग निवास करते है इसलिए अति पिछड़ी जाति में से ही ऑगनबाड़ी सेविका की बहाली होनी थी क्योकि उस केन्द्र के पोषक क्षेत्र में 110 बेलदार परिवार है तथा 40 गोड़ी जाति के धर है इसके बावजूद चमार जाति के लोगों का भी धर है तथा जानबूझकर मैपिंग पंजी पर इंक गिरा दिया गया । आगे यह भी कथन करते है कि रिर्स्पोण्डेन्ट बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित मध्यमा परीक्षा जो मौट्रिक की मान्यता प्राप्त है, में प्रथम श्रेणी में पास की है । तथा प्राप्तांक 67 प्रतिशत है ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि चूकि प्रतिपक्षी स0 2 यादव जाति के है, इसलिए अपने रिश्तेदार शोभा कुमारी को यादव जाति की है तथा जिन्हें मात्र 62 प्रतिशत अंक प्राप्त है ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि आवेदिका की शादी ग्राम लत्तीपुर ,थाना बीहपुर जिला भागलपुर में हुई थी तथा इस आवेदिका का मायके ग्राम –वीरगॉव थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा में था, परन्तु रेस्पाण्डेन्ट/आवेदिका विगत 14–15 वर्षो से स्थायी रूप से अपने मायकें यानी वीरगॉव में बस गयी है तथा तब से

लगातार वीरगॉव के बेलदारी टोला में ही रहती रही है, जिसका प्रमाण में निम्नन्यायालय के समक्ष रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र सं0 795 दिनांक 19.07.07, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण –पत्र सं0 890 दिनांक 19.02.07, मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं जारी पहचान पत्र, निबंधित विक्रय पत्र सं0 947 दिनांक 25.02 .05 को एवं निबंधित विक्रय पत्र सं03525 दिनांक 16.06.06 को जमीन खरीद की है तथा उसमें निवासी वीरगॉव टोला बेलदारी है कथन किया गया था। इस प्रकार इतने सबूतों के बाबजूद भी तथा अधिक अंक प्राप्त करने वो अति पिछड़ी जाति की होने के बाबजूद भी ऑगनबाडी सेविका पद पर यह कर नियुक्ति नहीं की गयी कि यह आवेदिका वीरगॉव की बेटी है, जो हास्यास्पद बतलाया है।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में सरकार के पक्ष में कथन करते हुए विज्ञ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश को सही बताया है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकन से पाया कि प्रश्नगत केन्द्र पर अतिपिछड़े वर्ग की बाहुल्ता है । मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुसार सेविका का चयन बाहुल्ता वर्ग से किया जाना है । प्रश्नगत केन्द्र पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पचायत सचिवों के सॉठ गॉठ से पिछड़े वर्ग की शोभा कुमारी का चयन मार्गदर्शिका के प्रावधानों के प्रतिकूल है । अतः निम्न न्यायालय जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा सभी तथ्यों की विवेचना का ~~सचिका~~ के मूल आधार पर आदेश पारित किया गया है । अतः अपील आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है । अस्तु अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा